प्रेषकः—

<u>विशेष व्यक्ति द्वारा</u>

अधीक्षण अभियन्ता,
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर।

प्रेषितः—

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क अनुभाग
उत्तर प्रदेश विज्ञापन विभाग,
लखनऊ।

पत्रांकः— 518/मगननिमंबु0/टी—1/निविदा/2018—19 दिनांक— 01/03/2019

विषयः— अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या—10/एस0ई0/2018—19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या—10/एस0ई0/2018—19 की छः प्रतियॉ एवं सी0डी0 संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इनका प्रकाशन हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में तीन दिवस के अन्दर यथा शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा करे, साथ ही विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in सूचना विभाग की बेवसाईट http://information.nic.in एवं सिंचाई विभाग की बेवसाईट http://www.idup.gov.in पर भी प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक— निविदा छः प्रतियों में तथा सी0डी0 एक अदद।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर

<u>पत्रांकः— 518/मगंननिमंबु0/निविदा/तदिनांकः— 01/03/2019</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1— प्रमुख अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— मुख्य अभियन्ता, स्तर—1, रूहेलखण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, बरेली।
3.— मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।
4— अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सिंचाई विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु निविदा एवं एक सी0डी0 सहित।
5— अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि आप निविदा खोलने हेतु नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
6— आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ/मुरादाबाद।
7— जिलाधिकारी, जनपद, बुलन्दशहर/अमरोहा।
8— पुलिस अधीक्षक, जनपद, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बिड़ खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा स्थल पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने हेतु आवश्यक आदेश देने का कष्ट करें।
9— जिला सूचना अधिकारी, जनपद, बुलन्दशहर।
10—अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—4, अमरोहा एवं खण्ड—14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)।
11—नोटिस बोर्ड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर

MADHYA GANGA ORGANISATION

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल
बुलन्दशहर

पत्रांकः– 518 / मगंननिमंबु0 / टी–1 / निविदा / 2018–19 दिनांक –01 / 03 / 2019

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–10 / एस0ई0 / 2018–19

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु आनलाईन अति अल्पकालीन निविदाऐं http://etender.up.nic.in के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्म से दिनांक 15.03.2019 की सायं 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा की प्री–क्वालिफिकेशन / टेक्निकल बिड दिनांक 16.03.2019 अपरान्ह 12.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष मे उपस्थित फर्मो / ठेकेदारों के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की स्थिति मे यह बिड अगले कार्य दिवस मे उसी समय खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 11.03.2019 की अपरान्ह 12.00 बजे से दिनांक 15.03.2019 की सायं 3.00 बजे तक उपरोक्त वेबसाईट पर डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।

क्र0 सं0	लाट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र+ स्टेशनरी+ जी0एस0टी0	पंजीकृत श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता जिसके पक्ष मे प्रतिभूति बन्धक की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 64.800 से कि0मी0 65.300 तक का निर्माण कार्य।	232.14	4.64	6 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, अमरोहा
2	02	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 63.082 से कि0मी0 63.400 तक का निर्माण कार्य।	142.19	2.84	6 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	
3	03	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 63.500 पर ग्राम पिपलीकंला में वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य।	130.00	2.60	4 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	
4	04	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 60.280 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य।	133.00	2.66	4 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	
5	05	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत बहजोई शाखा के कि0मी0 16.170 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य।	74.00	1.48	4 माह	300+2000 +414	''बी'' अथवा उच्च श्रेणी	
6	06	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत बहजोई शाखा के कि0मी0 12.700 पर कुन्दरकी राजवाहा के हैड रेगूलेटर का निर्माण कार्य।	41.00	0.82	4 माह	300+2000 +414	''बी'' अथवा उच्च श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें तथा विवरण http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल
बुलन्दशहर

MADHYA GANGA ORGANISATION

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल
बुलन्दशहर

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–10/एस0ई0/2018–19

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु आनलाईन निविदाऐं http://etender.up.nic.in के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्म से दिनांक 15.03.2019 की सायं 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा की प्री–क्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक 16.03.2019 अपरान्ह 12.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष मे उपस्थित फर्मो/ठेकेदारों के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की स्थिति मे यह बिड अगले कार्य दिवस मे उसी समय खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 11.03.2019 की अपरान्ह 12.00 बजे से दिनांक 15.03.2019 की सायं 3.00 बजे तक उपरोक्त वेबसाईट पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।

क्र0 सं0	लाट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र+ स्टेशनरी+ जी0एस0टी0	पंजीकृत श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता जिसके पक्ष मे प्रतिभूति बन्धक की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 64.800 से कि0मी0 65.300 तक का निर्माण कार्य।	232.14	4.64	6 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, अमरोहा
2	02	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 63.082 से कि0मी0 63.400 तक का निर्माण कार्य।	142.19	2.84	6 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	
3	03	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 63.500 पर ग्राम पिपलीकंला में वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य।	130.00	2.60	4 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	
4	04	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के कि0मी0 60. 280 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य।	133.00	2.66	4 माह	300+2000 +414	''ए'' अथवा उच्च श्रेणी	
5	05	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत बहजोई शाखा के कि0मी0 16.170 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य।	74.00	1.48	4 माह	300+2000 +414	''बी'' अथवा उच्च श्रेणी	
6	06	मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत बहजोई शाखा के कि0मी0 12.700 पर कुन्दरकी राजवाहा के हैड रेगूलेटर का निर्माण कार्य।	41.00	0.82	4 माह	300+2000 +414	''बी'' अथवा उच्च श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

आवश्यक नियम एवं शर्तेः–

1– यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा के साथ निर्धारित श्रेणी के निम्न प्रपत्र/अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगाः– सिंचाई विभाग मे निर्धारित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) , स्वघोषणा शपथ पत्र (IDT-3) तथा निविदा मूल्य (जी0एस0टी सहित) का ड्राफ्ट, धरोहर राशि का अभिलेख अनुबन्ध के समय उपरोक्त सभी अभिलेख मूल रूप मे उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

MADHYA GANGA ORGANISATION

2– अनुबन्ध के समय निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3– विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा मे शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/ 08टी0सी0–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशतकम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफारमैन्स गारंटी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

4– यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in सूचना विभाग की वेबसाईट http://information.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाईट पर ड्राईंग उपलब्ध न होने अथवा निविदा प्रपत्र मे संलग्न न होने अथवा किसी भिन्नता की स्थिति मे ड्राईंग/प्रपत्र लॉट संख्या–01, 02, 03, 04 एवं 05 हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, अमरोहा एवं लॉट संख्या–06 हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) के कार्यालय मे देख सकेंगे।

5– ज्वाइंट वेचर की निविदा किसी भी दशा मे स्वीकार नही की जायेगी।

6– निविदा/बिड की विस्तृत शर्ते निविदा/बिड प्रपत्र के साथ संलग्न होंगे।

7– शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

8– यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

9– धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप मे लॉट संख्या–01, 02, 03, 04 एवं 05 हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, अमरोहा एवं लॉट संख्या–06 हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) के पक्ष मे बंधक होनी चाहिए। इसकी स्कैन प्रति ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी। अनुबन्ध के समय मूल वांछित प्रतिभूति के अभिलेख मूल रूप मे जमा करना आवश्यक है।

10– अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषण पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा।

11– प्रत्येक निविददाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial bid/Price bid) के साथ रू0 100.00 के जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इसके पहले निविदा/आफर वास लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12– ठेकेदार को नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, रायल्टी एवं श्रम उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी

13–ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा–सम्बन्धी (First Biood Relation & Their Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में नाम व पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारी पर हलफनामा अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14–कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

15–निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियॉ तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी लॉट संख्या–01, 02, 03, 04 एवं 05 हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, अमरोहा एवं लॉट संख्या–06 हेतु अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) के कार्यालय से कार्य दिवसों मे प्राप्त की जा सकती है।

16–निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग न हो पाने अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

17–इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

18–यह संज्ञान मे आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

19–Technicial Evaluation and its result will be uploaded online. Financial Bid will be accepted only for those bidders who will qualified in the technical bid. Finacial bidding results will be online.

20–कोई निविदादाता जो राज्य सभा द्वारा काली सूची मे दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया मे भाग नहीं ले सकेगा।

21–राज्य बार कौंसिल मे पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया मे भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान मे आता है तो समाधन एवं संतुष्टि की दशा मे ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

22–विशेष परिस्थितियों मे निविदा खोलने की तिथि/समय/निविदा से सम्बन्धित अन्य किसी शर्त/विशिष्टियों मे यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करा दी जायेगी। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व ऑनलाईन/नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस का संज्ञान अवश्य ले लें।

23–शासनादेश सं0–3070/78–2–2018/42 आई0टी0/2017 (22) दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन मे निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन व्यवस्था होने तक निविदादाताओं के द्वारा ई–टैण्डरिंग प्रणाली के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धित डिमांड ड्राफ्ट/पेय आर्डस की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष मे बंधक कराने पर, प्राप्त ट्रांक्सैक्शन नं0 को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्गित रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धित डिमांड ड्राफ्ट/पेय

MADHYA GANGA ORGANISATION

आर्डस/प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नही किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची मे डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।

24–अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य सज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लधंन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

25–निविदादाता को ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। अनुबन्ध के समय ई–टेण्डरिंग का पंजीकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

26–उक्त निविदायें आमन्त्रित कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही धन की उपलब्धता के आधार पर की जायेगी। धन आवटन कम प्रांप्त होने अथवा प्राप्त न होनें की दशा में निविदायें निरस्त की जा सकती है इसके लिए किसी भी निविदादाता का दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।

27–ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा पर 02 वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की अनुमति के नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेंगे, तब संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

28– कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता मानक से कम होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह मात्र एक नोटिस देकर कार्य अन्य संस्था से कार्य को पूर्ण कराने तथा अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इसके पश्चात् ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

29–ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक–12–02–01–सी0टी0ई0– 6 दिनांक–17.12.2002 के अनुसार विगत सात वर्षो में समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव निम्न लागत का होना चाहिए।

(क) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये तीन कार्यो के अनुमानित लागत की 40 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।

अथवा

(ख) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये दो कार्यो की लागत अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।

अथवा

(ग) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये एक कार्य की लागत अनुमानित लागत की 80 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।

30–ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक–12–02–01–सी0टी0ई0–6, दिनांक–17.12.2002 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षो में किसी एक वित्तीय वर्ष (विगत 31 मार्च) का वार्षिक टर्न ओवर निविदा के कार्य की अनुमानित लागत का 30 प्रतिशत या उससे अधिक का होना चाहिए। इस हेतु ठेकेदार को अधिकृत चार्टेड एकाउन्टैन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंन्स शीट की सत्यापित प्रति अनुबन्ध के समय उपलब्ध करानी होगी।

31–भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा, इसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

32–कार्य के भुगतान के समय नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प डयूटी, रॉयलटी एवं समय–समय पर लागू अन्य प्रचलित कर/उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प डयूटी तथा जमानत की शेष धनराशि भी जमा करनी होगी।

33–निविदा जी0एस0टी0 को छोड़कर (Exclusive of G.S.T.) आमंत्रित की जा रही है। जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त उपकर, लेवी आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

34–भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में जो भी निर्णय/आदेश किये जायेंगे, वह सभी ठेकेदारों/फर्मो पर नियमानुसार लागू होंगे।

35–ऑनलाईन प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का टेक्निकल बिड के समय यह परीक्षण चैक लिस्ट के अनुसार किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1,IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि, एवं अनुभव प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध कराये है या नही। इनमे किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति मे निविदादाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।

36–सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के प्रचलित नियमों व शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।

37–निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा डाल सकेगा। सशर्त निविदा किसी भी दशा मे मान्य नही होगी।

38–कार्य स्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा, अन्यथा की स्थिति मे क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

Office Name .
Executive Engineer
Madhya Ganga Canal Construction, Div-4
Amroha
Mobile No. 8416866009
E-mail id- mgccd4amroha@gmail.com

अधीक्षण अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,
बुलन्दशहर

Office Name .
Executive Engineer
Madhya Ganga Canal Construction
Div. 14, Garhmukteshwar (Hapur)
Mobile No 08979803957
E-mail id- mgccd14@gmail.com

MADHYA GANGA ORGANISATION